

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1. परियोजना विवरण:-

- | | | | |
|-----|--|----|---|
| क) | उपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण | :- | राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौंड में चिन्यालीसौंड-जोगथ मोटर मार्ग से पुजारगांव भडेश्वर मन्दिर तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 1.825 किमी० (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.4385 हे० आरक्षित/सिविल वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव। |
| ख) | 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के बनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप। | :- | संलग्न है। |
| ग) | परियोजना की लागत | :- | 15.23 लाख |
| घ) | वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। | :- | औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न है। |
| ड.) | लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए) | :- | 5.00 हे० से कम होने पर लागू नहीं हो रहे है। |
| च) | रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। | :- | |
| 2. | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार भूमि का विवरण | :- | मार्ग निर्माण में 1.3475 हे० आरक्षित वन भूमि,सिविल स्वयं 0.0910 व नाप भूमि 0.1190 हे० प्रयोग की जायेगी। |
| 3. | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है। | :- | उक्त निर्माण कार्य से कोई परिवार प्रभावित नहीं होगा |
| क) | परिवारों की संख्या | :- | नहीं है। |
| ख) | अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या | :- | नहीं है। |
| ग) | पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए) | :- | नहीं है। |
| 4. | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) | :- | हाँ |
| 5. | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः पलीकीएर की पचनयद्धता (बचनवद्धता संलग्न की जाये) | :- | संलग्न है। |
| 6. | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरो। | :- | संलग्न है। |

पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

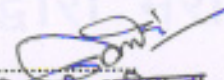
प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान उत्तरकाशी।

नाम

मोहर


अधिसासी अभियन्ता
निर्माणखण्ड, तो०नि०वि०
चिन्यालीसीढ़ (उत्तरकाशी)

प्रस्ताव की क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी
द्वारा भरा जाएगा)